

बिहार राज्य गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय (३)

बिहार राज्य गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय (४)

बिहार राज्य गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय (५)

(सेवाशर्त) नियमावली, 1976 (६)

शिक्षा विभाग (७)

अधिसूचना (८)

20 नवम्बर 1976 (९)

विषय—बिहार राज्य के अराजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा-शर्त नियमावली का अनुमोदन।

सं० आई०/स 9-01/76—2456-श०—राज्य-सरकार ने बिहार राज्य के अराजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा शर्त नियमावली, जो संस्कृत शिक्षा परिषद्, बिहार द्वारा तैयार कर शासन के अनुमोदन हेतु भेजी गई थी, को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत किया है।

यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस नियमावली को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय।

प्रकाशित किया जाने के बाद इस नियमावली को विहार-राज्यपाल के आदेश से, लागू किया जाएगा। इसकी लागू तिथि भास्कर बन जी, विदेश सचिव।

अध्याय—१

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(१) यह नियमावली बिहार राज्य गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय (सेवा शर्त) नियमावली, 1976 कही जायगी।

(२) यह शासकीय राजपत्र (गजट) में प्रकाशित तिथि से प्रवृत्त होगी।

अध्याय—२

परिभाषाएं—

(क) “नियमावली” से अभिप्रेत है बिहार राज्य-गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय सेवाशर्त नियमावली, 1976।

(ख) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है, बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष।

(ग) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, नियमावली में अंकित संबंधित पदाधिकारी।

(घ) “परिषद्” से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद्।

(इ) "सरकार" से अधिप्रेत है बिहार सरकार, शिक्षा विभाग ।
 (च) "विद्यालय" से अधिप्रेत है राज्य-सरकार के विद्यालय के द्वारा प्रधानाध्यापक या संस्कृत उच्च विद्यालय की संस्कृत उच्च विद्यालय ।

(छ) "समिति" से अधिप्रेत है विद्यालय की प्रबन्ध समिति ।
 (ज) "प्रधानाध्यापक" से अधिप्रेत है संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रधान के रूप में नियुक्त व्यक्ति ।

(झ) "सहायक शिक्षक" से अधिप्रेत है ऐसा शिक्षक जो प्रधानाध्यापक (झ) "सहायक शिक्षक" से अधिप्रेत है ऐसा शिक्षक जो प्रधानाध्यापक के नहीं हो ।

(ट) "शिक्षकेतर कर्मचारी" से अधिप्रेत है लिपिक, कर्मचारी या तत्सम कर्मचारी ।

(ठ) "अस्थायी नियुक्ति" से अधिप्रेत है किसी सीमित अवधि के लिए की गई नियुक्ति ।

अध्याय—3

गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, अहंता और सेवा-शर्तें ।

1. नियुक्ति, अहंता, सेवा-शर्ते और अनुभासनिक कार्यवाही—विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों में प्रोत्त्व देकर की गई नियुक्तियों से भिन्न सभी नियुक्तियाँ रात्य के कर्म-से-कर्म एक मुख्य हिन्दी द्विनिक समाचार-पत्र में सम्प्रक्षिण निकालने के बाद की जायगी । किन्तु अधिकतम तीन महीने की नियांत्रित अत्यकालीन नियुक्तियाँ स्थानीय रूप से विज्ञापन निकालकर की जा सकेंगी ।

2. जब कभी प्रधानाध्यापक या सहायक शिक्षक के किसी पद को भरना हो तब समिति यह विनियोग करेगी कि पद को विद्यालय के अहंता-प्राप्त वर्तमान शिक्षकों में से प्रोत्त्व देकर भरा जाय या विज्ञापन के द्वारा ।

3. विद्यालय विज्ञापन के प्रारूप पर सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा । इस प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापन पद का नाम और प्रकार, अपेक्षित अहंताएँ, उपलब्धियाँ और अन्य संबंधित विषयाँ विनिर्दिष्ट रहेंगी ।

4. समिति कर्म-से-कर्म एक प्रबन्धारे की नोटिस देकर साक्षात्कार के लिये ऐसे

प्रत्याशियों को बुलायेंगी जो अहंता प्राप्त हो । साक्षात्कार के लिये इस प्रकार बुलाये गये प्रत्याशियों का साक्षात्कार, समुचित तिथि को इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलायी गयी साक्षात्कार बैठक में समिति के सदस्य करेंगे ।

समिति, साक्षात्कार की तिथि की पूर्व सूचना सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् को देगी । यदि सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् उच्चतर सम्बन्धों तो साक्षात्कार के लिये बुलायी गयी बैठक में विशेषज्ञ को भेज सकते हैं ।

5. यदि प्रत्याशी, प्रधानाध्यापक या समिति के किसी सदस्य का संबंधी हो तो प्रधानाध्यापक या ऐसे सदस्य साक्षात्कार के पहले समिति को वास्तविक संबंध की सूचना देगा और साक्षात्कार की बैठक में भाग नहीं लेगा ।

6. समिति भरे जानेवाले प्रत्येक पद के लिये, साक्षात्कार किये गये प्रत्याशियों में से तीन सर्वोत्तम प्रत्याशियों की नामिका (पैनल) अधिमानता-कर्म से तैयार करेगी और चयन का कारण देगी । समिति साक्षात्कार के एक सप्ताह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ तीन नामों वाली यह नामिका सहायक शिक्षक के मामले में, सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् को अनुमोदन के लिये भेज देगी :—

(क) विज्ञापन की एक प्रति, (ख) साक्षात्कार के समय सचिव के द्वारा किये गये विनियोग से सम्बद्ध संकल्प की एक प्रति, (ग) सारणी-बद्ध विवरण, जिसमें सभी आवेदकों के नाम, अहंताएँ और अन्य विशिष्टताएँ दी रहें, (घ) सभी आवेदकों के मूल, आवेदन तथा प्रणाली-पत्र और अनुलग्नक ।

7. सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् समिति की अनुशंसा ग्राहन होने वाले करे और समिति की अनुमोदित या अन-अनुमोदित अथवा अधिमानता-कर्म में हेर-फेर करके उसे उपनामित कर, समिति के पास उत्तर भेज देने । जब अध्यक्ष/सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन या उपनामित करे तब ऐसा करने का लिखित कारण समूचित किया जायगा ।

8. सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् समिति की अनुशंसा ग्राहन होने पर एक मास के भीतर समिति की सूचना न मिले तो एक निबंधित स्मार सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् एतदर्थ समिति को भेजेगी और उसके पन्द्रह दिनों के भीतर प्राधिकारी की समुचित राय या आदेश समूचित नहीं किया गया तो यह सम्भाजा किया कि समिति की अनुशंसा अनुमोदित कर दी गयी ।

9. यदि समिति सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् के विनियोग से व्यक्ति हो, तो उसे आदेश प्राप्त की तिथि से एक प्रबन्धारे के भीतर कमशः अध्यक्ष/सरकार सरकार के पास अपील करने का अधिकार होगा । अपील पर अध्यक्ष/सरकार का विनियोग भांति होगा और समिति इसे कार्यरूप देगी ।

10. जब कभी समिति किसी पद को अपने ही शिक्षकों के बीच से प्रोत्त्व देकर भरने का विनियोग करे तब वह, इस प्रयोजनार्थ, विशेष रूप से बुलाई गई अनुमोदित उम्मीदवारों की नामिका तैयार करने और सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् के विनियोग के विशेषज्ञ को भेज सकते हैं ।

11. प्रधानाध्यापक पद के प्राधियों को संस्कृत उच्च विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले संस्कृत विषयों में से किसी एक विषय में कम-से-कम उच्च द्वितीय श्रेणी में आचार्य परीक्षोंतर्था किसी प्रस्त्रीकृत विद्यालय या हाई स्कूल में कम-से-कम 10 वर्षों के अध्यापन का अनुभव होना आवश्यक है अथवा पढ़ाये जानेवाले किसी एक संस्कृत विषय में प्राचीन आचार्य के साथ संस्कृत अनेकों के साथ बी० ए० या संस्कृत में एम० ए० अथवा पढ़ाये जानेवाले संस्कृत विषयों में से किसी एक विषय में (अंग्रेजी के साथ) उत्तीर्ण नवीनाचार्य के लिये किसी प्रास्त्रीकृत विद्यालय या हाई स्कूल में कम-से-कम 10 वर्षों के अध्यापन का अनुभव आवश्यक है। प्राचीन ग्रन्थों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- संस्कृत विषयान् प्राप्ति के लिये उक्त अधिकारित न्यूनतम योग्यता से उच्चतर विचार किया जा सकता है।
- प्रधानाध्यापक पद के लिये उक्त अधिकारित न्यूनतम योग्यता से उच्चतर योग्यतावाले व्यक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न सर्वथा वांछनीय होगा।
12. संस्कृत उच्च विद्यालयों में सहायक विषयान् को प्रधानाध्यापक पद के लिये आचार्य तथा आठुनिक विषयों के लिये स्नातक या अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण नवीन आस्त्री परीक्षा होगी। योग्य एवं अनुभवी विषयान् को प्राथमिकता दी जायेगी।
13. संगीत और विष्णुप विषयान् के मामले में पदधारी से आवश्यक विशेषज्ञीय अहंता की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की स्थिति में, उसे या तो शारीरिक विषयान् में डिल्लोमा सहित स्नातक होना चाहिए या इससे कम अहंता का ऐसा व्यक्ति जिसे "शारीरिक विषयान्" का प्रमाण-पत्र हो।
14. किसी भी व्यक्ति को तबतक विषयक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह 21 (इक्कोस) वर्ष का न हो।
15. नियुक्ति, यदि यह अस्थायी न हो, प्रारंभ में दो वर्षों की अवधि के लिये परिवेशा पर की जायेगी और परिवेशान् नियुक्ति केवल स्थायी रिक्ति में ही की जायेगी।
16. यदि परिवेशान् व्यक्ति का कार्य और आचरण परिवेशा की अवधि में संतोषप्रद पाया जाय तो समिति उसे दो वर्षों की अवधि के अंत में संपुष्ट कर देगी। यदि समिति की राय में सम्बद्ध व्यक्ति का कार्य और आचरण संतोषप्रद नहीं होतो परिवेशा अवधि की समाप्ति के पहले समिति यह विनिश्चय करेगी कि परिवेशा की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाय या सेचा समाप्त कर दी जाय।
17. यदि समिति परिवेशा एक वर्ष और बढ़ाने का विनिश्चय करे तो विषयक को विनिश्चय लिखित रूप में संस्कृत कर दिया जायगा। इससे ओर यदि समिति दो वर्ष की प्रारम्भिक परिवेशा अवधि के अन्त में उसकी सेचा समाप्त करने का विनिश्चय करे तो समिति सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत विषयान् परिषद्, जिसे पूरे तथ्य और औचित्य का प्रतिवेदन भेजा जायेगा, पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही ऐसा करेगी।

18. यदि दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के पहले, दो वर्षों की परिवेशा अवधि न तो बढ़ाने और न परिवेश्यमान व्यक्ति को सेवा समाप्त करने का ही कोई विनिश्चय किया जाय, अथवा यदि परिवेशा अवधि एक वर्ष और बढ़ायी जाय तो तीसरा वर्ष समाप्त होने के पहले नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा कोई संपुष्टि अदेश निर्गत न किये जाने पर भी, पदधारी स्वतः संपुष्ट किया गया समझा जायेगा।
19. अस्थायी नियुक्ति नियात अस्थायी पदों पर या जब स्थायी पदधारी की जायेगी। समिति स्थायी रूप से विनिर्दित अवधि के लिये अनुपस्थित हो तब स्थायी पदों पर तीन महीने के लिये अस्थायी नियुक्ति कर सकेगी और ऐसे मामलों में सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत विषयान् परिषद् का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं है। इन नियम के अधीन नियुक्त व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में तीन महीने की अवधि के बाद काम नहीं करने दिया जायेगा।
20. विषयक 62 वर्ष की उम्र हो जाने पर स्वतः सेवानिवृत्त हो जायेगा। परन्तु, बिहार संस्कृत विषयान् परिषद् स्वयं या सचिव, विषयान् परिषद् के माध्यम से समिति द्वारा, या सीधे सचिव/अध्यक्ष द्वारा निर्देश किये जाने पर यथोचित जाँच करने और संबद्ध विषयक की सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद आदेश देने के बाद विषयक को किसी भी समय अस्वस्थता या अदक्षता के आधार पर या जब परिषद् जाय और परिषद् द्वारा दिया गया यह आदेश अंतिम और समिर्दि के लिये आवश्यकर होगा।
21. राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्ति विषयक तथा संस्कृत विषय पढ़ानेवाले विद्यालय साधारणतः 65 वर्ष की उम्र होने पर सेवानिवृत्त होने परिषद् स्वयं या सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत विषयान् परिषद् के माध्यम से समिति द्वारा या सीधे सचिव/अध्यक्ष द्वारा निर्देश किये जाने पर, यथोचित जाँच करने और विषयक की सुनवाई को युक्तियुक्त अवसर देने के बाद आदेश पारित कर सकेगा कि ऐसा विषयक 62 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर किसी भी समय अस्वस्थता या अदक्षता के आधार पर अथवा जब परिषद् की राय में उसे सेवा में रखना विद्यालय के हित में न हो तब सेवानिवृत्त कराया और समिति के लिए आवश्यकर होगा।
22. समिति विद्यालय के परिवेश्यमान व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति को नियन्त्रित कोई भी दृढ़ ते सकेगी :—
- (क) छोटा-मोटा दृढ़—
- (i) चेतावनी।
- (ii) परिनिन्दा (सेन्सर)।

निवाहि भत्ता जो उसके मासिक बेतन का आधा होंगा और जीवन-यापन भत्ता जो निवाहि भत्ते के रूप में प्राप्त बेतन अनुपात में होगा दिया जायगा ।

(ख) बड़ा दृढ़—

- (i) बैतनवृद्ध की राक ।
 - (ii) पदावनति ।
 - (iii) सेवोमुक्ति ।
 - (iv) पदच्छ्रुति ।

(iv) पद्धति ।
23. समिति संबंध व्यक्ति का अपने आचरण के संबंध में सम्पर्क, रूप से लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर दे सकेगा और उसमें समिति का निष्पादन अंतिम होगा ।

(१०) और सामान्य भलाई को दृष्टि से आहत कर दा।

25. जिस व्यक्ति पर कार्यवाही चलायी जाय उसे अपने डूपर लगाये गये आराप, उप-धारा (24) के अधीन अपने निलंबन के एक सप्ताह के भीतर, लिखित हृषि के उपर दिये जानें और उसे आरोप-पत्र की प्राप्ति के पन्थ हृषिनों के भीतर के स्पष्टीकरण देना होगा । स्पष्टीकरण की प्राप्ति की तारीख से एक पञ्चवारे की भीतर समिति की बैठक बुलायी जायगी और जिसके लिये, हरेक सदस्य को रजिस्टरीकृत डाक या चिशेष दृत द्वारा पूरे दोस दिनों की नोटिस दी जायेगी । इससे बैठक में वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या की दोनों तिहाई सदस्यों का कोरम होगा बैठक में प्रधानाध्यापक या समिति में शिक्षक या प्रतिनिधि स्वयं आरोप से सबबद्ध हो तो वह ऐसी बैठक में उपस्थित नहीं रहेगा ।

हो तो वह ऐसा बोला कि जिन्होंने बिना कोई विचार किया तो उसकी समझ नहीं होती।

26. अध्ययन/सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् की सहमति के बिना कोई विचार न किया गया। प्रधानाध्यापक/शिक्षक तीन महीने से अधिक अवधि के लिये निलंबित न किया गया। प्रधानाध्यापक के मासले में अध्ययन, संस्कृत शिक्षा परिषद् की अनुमति न दी गयी। निलंबन की अवधि में उसे जीवन-के बिना निलंबन आदेश लागू नहीं होगा। निलंबन की अवधि में उसे जीवन-

27. संबद्ध व्यक्ति के स्पष्टिकरण पर सम्बन्ध विचार करते और उन्नुरोध किये जाने पर उसे मुनवाही का अवसर देने के बाद, समिति, उप-तियम् (32) में निर्णिदिष्ट कोई बड़ा दंड देने या आरोपों से विमुक्त करने का विनिश्चय कर सकता । अभियुक्त के आरोपों से विमुक्त किये जाने की स्थिति में निलंबन की अवधि, कर्तव्यस्थ अवधि मानी जायगी और उस अवधि का पूरा वेतन और भत्ता दिया जायगा । यदि समिति, बड़े दंडों में से कोई दंड देने का विनिश्चय करे तो वह इस बात का भी निर्णिदिष्ट विनिश्चय करेगी कि निलंबन की अवधि कर्तव्यस्थ अवधि मानी जायगी या नहीं ।

28. ऐसे सभी मामले में, जिनके समिति चार बड़े दंडों में से कोई दंड देने का विनिश्चय करे, ऐसा दंड वात्सव में कार्यनिवृत्त किये जाने के पहले, कायवाही के सभी अभिलेख और व्याख्यातमक अप्रत्यक्ष बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् के पास भेजे जायें । समिति के निर्णय से व्यक्ति व्यक्ति पन्द्रह दिनों के भीतर रवाना परिषद् के पास अपील कर सकता ।

29. पुर्ववाचार समिति में कोमेश्वर रम्जू, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव व एवं संबंधित जिले के गैर-सरकारी उच्च विद्यालय के एक-एक प्रधानाध्यापक, ये तीन व्यक्ति रहेंगे। ऐसी समिति की बैठक सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् के कार्यालय में होगी। यह समिति दोनों पक्षों की बातों को मुनाफ़ा अपना निष्पाय देगी, जो मात्र होगा। उक्त निष्पाय से व्यक्ति पन्द्रह दिनों के भीतर अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् के पास आगील कर सकेगा और वह निष्पाय अंतिम माना जायगा।

30. किसी व्यक्ति की सेवा समाप्त किया जाना निम्न स्थिति में बढ़े दृढ़ की कोटि में नहीं आयगा :—

अध्याय—

(क) परिवीक्षा अवधि में,
(ख) उस अवधि में जिसमें वह निरान्त अस्थायी पद धारण करता हो।

संस्कृत उच्च विद्यालयों के शिक्षणेत्र कर्मचारियों की नियुक्ति, अहंता, सेवाशत् और अनुशासनिक कार्यवाही ।

1. समिति विद्यालय के प्रधानपत्र पदों पर सभी नियुक्तियां पदों को स्थानीय छप से विज्ञापत करने के बाद करेगी । समिति पद के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, हर पद की ऐसी अहंता विहित करेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

होगी। उक्त की योग्यता विशेष योग्यता माना जायगा।

तक प्रारंभ में दो वर्षों के लिये परिवीक्षणमान आधार पर की जायेगी । परन्तु, परिवीक्षणमान नियुक्ति के बहल स्थायी रिक्ति में ही की जायेगी ।

(b) शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति में प्रधानाध्यापक की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जायेगी । शिक्षणेतर पदों पर की गई सभी प्रकार की नियुक्तियों की सूचना पूरे विवरण के साथ समिति सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् को इस दिनों के भीतर भेज देगी ।

3. शिक्षणेतर स्थायी पद पर परिवीक्षणमान रूप से नियुक्त व्यक्ति दो वर्षों की परिवीक्षणमान अवधि समाप्त होने पर सुनिहाल कर दिया जायगा, यदि शिक्षणेतर कारणों से समिति के सकल्प द्वारा यह अवधि और भी एक वर्ष के लिये न बढ़ा दी जाय या सुनिहाल रोक न रखी जाय ।

4. किसी शिक्षणेतर पद पर नियुक्त व्यक्ति वासठ वर्ष प्राप्त कर लेने पर सेवा-निवृत्त हो जायगा :

परन्तु समिति संबद्ध व्यक्ति ने मुनवाई का उक्तियुक्त अवसर देकर साठ वर्ष की उम्र के बाद किसी भी समय अस्वस्था या अदक्षता के आधार पर या जब उसे सेवा में रखना विचालय के हित में न हो, सेवा से निवृत्त करने का आदेश पारित कर सकेगी ।

5. समिति, शिक्षकेतर किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने और अध्याय 3 के नियम (22) में विनियिट एक या अधिक छोटे-मोटे साड़े दंड देने में सक्षम होगी ।

परन्तु दंड देने के पूर्व, कर्मचारी को अपने मामले के संबंध में स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर दिया जायगा । इस संबंध में समिति का नियम अंतिम होगा । नियम के समाचर समिति प्रधानाध्यापक की राय को प्रमुखता देगी ।

अध्याय—5

अवकाश

विचालयों में नियतावकाश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के अवकाश होंगे :—

आकस्मिक अवकाश, अर्जितावकाश, कर्तव्यावकाश, अध्ययनावकाश, शहायकाश, संकामक रोगावकाश ।

1. आकस्मिक अवकाश :—प्रत्येक पांचांग वर्ष में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिये समान रूप से सोलह दिन आकस्मिक अवकाश के होंगे । प्रधानाध्यापक के द्वारा लिये जानेवाले अवकाश को समिति के सचिव तथा अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों के द्वारा लिये जानेवाले अवकाश को विचालय के प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे । एक बार में यह अवकाश अधिकतम सात दिनों तक दिया जा सकेगा जो मासिक अनुपात को ध्यान में रखकर दिया जायगा ।

आकस्मिक अवकाश में पहुँचनेवाले नियतावकाश के दिन अवकाश के अंश के क्षेत्र में नहीं गिने जायेंगे ।

2. अर्जितावकाश :—(क) पूरे पांचांग वर्ष की कार्यविधि में प्रतिवर्ष प्रत्येक शिक्षक और कर्मचारी पूर्ण वेतन पर तीन दिन यह अवकाश अर्जित करेगा । यह अवकाश तीन वर्षों से कम की सेवा पर अनुमान्य नहीं होगा । यह अवकाश 120 दिनों के अधिक अर्जित होने पर व्ययगत समझा जायगा ।

(ब) पूरे पांचांग वर्ष की कार्यविधि में प्रतिवर्ष प्रधानाध्यापक या अन्य शिक्षक अद्वेतन पर बीस दिनों का अवकाश अर्जित करेगा । यह अवकाश अन्य शिक्षक पर अद्वेतन के स्थान पर पूर्ण वैतानिक रूप में हपानतित किया जा सकेगा जो उक्त अवकाश का आधा होगा ।

(ग) शिक्षणेतर कर्मचारियों की स्थिति में यह अवकाश पूरे पांचांग वर्ष की कार्यविधि में प्रतिवर्ष छँ: दिन अद्वेतनिक पर अर्जित किया जा सकेगा और अध्याय 5 के नियम 2(ब) में विनियिट नियम के अनुसार पूर्ण वेतन पर हपानतित किया जा सकेगा जो उक्त छँटी का आधा होगा ।

3. कर्तव्यावकाश :—किसी भी विश्वविद्यालय या शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित कार्य में जहाँ पारिश्रमिक उपलब्ध होता है; जाग लेने की स्थिति में प्रधानाध्यापक या शिक्षकों को पूरे पांचांग वर्ष में अधिकतम पन्द्रह दिनों का कर्तव्यावकाश दिया जा सकेगा ।

4. अध्यापनावकाश :—विचालय के प्रधानाध्यापक या शिक्षक जो सुनिहाल हो अपने पूरे सेवा काल में उचित अध्ययन के लिये तीन वर्षों तक अवैतनिक रूप में अध्ययनावकाश ले सकेगा और इस अवकाश के कारण सम्बन्धित व्यक्ति की सेवा सम्बन्धी मुश्विधाओं में कोई बाधा नहीं होगी ।

5. अहंगार्थ नार अवकाश :—किसी विचालय का प्रधानाध्यापक या शिक्षक, अगर वह सुनिहाल हो तो अन्य सेवा में उचित स्रोत के द्वारा आवेदन-पत्र भेजे जाने के बाद यदि नियुक्त हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्षों तक वह अपने पद पर ग्रहणाधिकार अवकाश का अधिकारी होगा ।

आधिक के अवकाश की स्थिति में रिक्त स्थान पर अस्थायी नियुक्ति की व्यवस्था की जा सकेगी ।

6. संकामक रोगावकाश :—(क) जिस घर में शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी वस्तुतः रहता हो उसमें संकामक रोग हो जाने के परिणामस्वरूप कर्तव्य से अनुपस्थित हो जा सकेगा ।

(ब) संकामक रोगावकाश, आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने में सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद्, बिहार द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी या लोकस्वास्थ्य

पदाधिकारी के प्रमाण-पत्र पर अधिक-से-अधिक 21 दिनों के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा । इस प्रयोजन के लिये इस अवधि में अधिक आवश्यक छुट्टी साधा-रण छुट्टी मानी जायगी ।

(ग) आवश्यकता पड़ने पर संकामक रोगावकाश उल्लिखित अधिक सीमा के अधीन अन्य अवकाश के क्रम में दिया जा सकेगा ।

(ब) संकामक रोगावकाश पर या व्यक्ति कर्तव्य पर अनुपस्थित नहीं माना जायगा और उसका बेतन नहीं रोका जायगा ।

(इ) इस अवकाश के प्रयोजनार्थे हैंजा, चेनक, ज्लेग, डिल्फेरिया, टाइफाइड, उच्चर तथा मेरिओस्पाइनल-मेनजाइटिस संकामक रोग माने जायेंगे ।

छोटी माता (चिकित्सा पार्कर) की दशा में संकामक रोगावकाश तब तक न दिया जायगा जब तक कि उस क्षेत्र का स्वास्थ्य पदाधिकारी यह न समझता हो कि चूंकि इस रोग का वास्तविक स्वरूप सोंदरध है इसलिये छुट्टी देने का औचित्य है ।

अध्याय—6 प्रकीर्ण

1. दीर्घविकाश में प्रभार :—विद्यालय के दीर्घविकाश में प्रधानाध्यापक किसी अध्यापक को प्रधारी बना सकता है । प्रधारी अध्यापक को अवकाश की पुरी अवधि का तुरीयांश अवकाश पूर्ण बेतन पर अर्जित अवकाश के रूप में दिया जा सकेगा । दीर्घविकाश में यदि प्रधानाध्यापक स्वयं उपस्थित रहा हो तो उसे कोई अवकाश अनुमत्य नहीं होगा ।

2. सेवा-पुस्तिका :—प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों और शिक्षणतेर कमचारियों की सेवा-पुस्तिका रखी जाय । प्रधानाध्यापक की सेवा-पुस्तिका समिति के सचिव एवं सहायक शिक्षकों तथा शिक्षणतेर कमचारियों की सेवा-पुस्तिका प्रधानाध्यापक के द्वारा अधिप्रमाणित की जायेगी और सेवा-पुस्तिका का सत्यापन सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद करेगा ।

3. वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति :—विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और कमचारी की गोपनीय वरित-पुस्तिका रखी जायेगी । इसमें वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति प्रतिवर्ष शिक्षा सत्र के अन्त में दर्ज की जायेगी । यह पुस्तिका प्रधानाध्यापक की स्थिति में विद्यालय के सचिव एवं सहायक शिक्षा निदेशक (संस्कृत) और शिक्षकों एवं शिक्षणतेर कमचारियों की स्थिति में प्रधानाध्यापक लिखेगा । प्रधानाध्यापक की स्थिति में विद्यालय के सचिव प्रधानाध्यापक की गोपनीय चरित-पुस्तिका लिखकर सहायक शिक्षा निदेशक (संस्कृत) के यहाँ भेज देने जो अपनी अभ्युक्ति उसपर दर्ज करेंगे ।

यदि किसी प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक या शिक्षणतेर कमचारी के कार्य के सम्बन्ध में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की गई हो तो उसका

मुसंगत उदाहरण अगले सतारमध्य के तीन महीने के भीतर, सम्बद्ध व्यक्ति को समुचित किया जायेगा ।

शिक्षणतेर कमचारियों के अतिरिक्त यदि प्रधानाध्यापक या सहायक शिक्षक पह महसूस करे कि ऐसी प्रतिकूल अभ्युक्ति तथ्यों पर आधारित नहीं है तो प्रधानाध्यापक की इस्थिति में अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् और अन्य की स्थिति में समिति के पास अधीत की जा सकती है । अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् या समिति पूर्ण तथ्य अवगत होने के बाद अपना अन्तिम चिनिशचय देगी और अधीत को या तो अस्वीकृत कर या पूर्ण या आंशिक अभ्युक्ति हटाकर समुचित संशोधन करने का निर्देश देगी और उक्त निर्देश दोनों पक्षों के लिये आवश्यक होगा ।

4. विद्यालय प्रबंध समिति :—विद्यालय प्रबंध समिति बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् के नियमों के अधीन गठित होगी ।

5. अवकाश लेखन के लिये अनुसूची प्रपत्र 'क' छुट्टी के आवेदन के लिये प्रपत्र 'ब', गोपनीय चरित-पुस्तिका के लिये प्रपत्र 'न' तथा सेवा-पुस्तिका के लिये प्रपत्र 'ब' के अनुसार प्रधानाध्यापक सहित प्रत्येक शिक्षक और कमचारी के विवरण का उल्लेख आवश्यक होगा । 'क' से 'ब' तक सभी प्रपत्र अनुसूची में संलग्न हैं ।

कारम (ख) ।

छुट्टी आवेदन का कारम ।

(मद 1 से 7 तक आवेदकों को भरना है)

(1) आवेदक का नाम
(2) आवेदक पद
(3) विद्यालय का नाम
(4) बेतन
(5) आवेदित छुट्टी का प्रकार और अवधि (छुट्टी किस तारीख से अवधित है)
(6) किस आधार पर छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है
(7) पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख,

(8) नियंत्रण पदाधिकारी की अध्युक्ति
और/अथवा सिफारिश

तारीख

(9) इस आवेदन के पूर्व आवेदक के स्वीकृत छुट्टी का विवरण—

हस्ताक्षर और पदनाम

छुट्टी का प्रकार

चालू वर्ष में

मिछले वर्ष में

कुल

- (1) आकस्मिक छुट्टी
- (2) अन्य प्रकार की छुट्टी—
- (क) औसत बेतन पर
- (ख) आधे औसत बेतन पर
- (ग) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर औसत बेतन पर

- (4) धारित पद
- (5) अधिकारी नियुक्ति की तारीख
- (6) वर्तमान बेतन
- (7) जन्म की तारीख तथा वर्ष के 31 मार्च की आयु
- (8) सेवा की कुल अवधि
- (9) समवित—
- (10) साधारण छुट्टी
- कुल

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि अराजकीय संस्कृत उच्च विद्यालयों पर लागू छुट्टी नियमावली के अधीन
- तारीख... ... से तारीख... ... तक औसत बेतन पर... ... मास और... ... दिनों की छुट्टी अनुज्ञय है

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर और पदनाम।

फारम (ग)।

बिहार के नौ-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के वार्षिक गोपनीय अधिलेखों के लिये फारम।

(नियम 10 देखें)

- (1) रिपोर्ट की अवधि तारीख से... ... तक।
- (2) पूरा नाम (साफ अक्षरों में).....
- (3) अहंताएँ—

- (i) गैरिक
- (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण

(iii) यदि कोई विशेष 'अहंता है' तो उसका उल्लेख करें (इसमें विभागीय परीक्षा भी शामिल है)

(11) क्या वर्णों कार्य की तैयारी के लिये पाठ दिघ्पणी नियमित रूप से लिखाने और स्वाध्याय करने की आदत है और क्या वे पुस्तकालय का उपयोग करते हैं?

(12) यदि वे प्रशासनिक ढंग का पद धारण या कर्तव्य करते हों तो क्या वे अधिलेखों को भली-भांति अनुरक्षित और अचानक रखते हैं?

(13) क्या ये अपने स्टाफ से सहयोग प्राप्त करने या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने में समर्थ हैं?

(14) क्या इन्हें अपने वर्तमान कार्य के लिये उच्चतर उत्तरदायित्व वाले काम के लिये उपयुक्त है? क्या ये उच्चतर उत्तरदायित्व वाले काम के लिये उपयुक्त हैं?

(15) इन्होंने कौन-कौन-से पाठ सहगामी क्रियाकलाप आयोजित किया या उनमें भाग लिया?

(16) ग्रोष्टिके लिये इनकी सिफारिश की जाती है या नहीं (महं बात उनके नैतिक चरित्र, यारीकिक किन-किन वर्गों में कौन-कौन विषय पढ़ते हैं। इसका ब्योरो। क्या वे अपना काम भली-भांति समाप्त होनी चाहिए)।

(17) कोई अन्य अध्युक्ति।
यह कैसा ज्ञालकरा है।